(10) 19-5-14

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936
No. 266] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2014

सा.का.नि. 345(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 188 (अ) तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 14 मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया था जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं, जनता को 14 मार्च, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 56, धारा 64, धारा 88 की उपधारा 14 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 के उपनियम (1) के परंतुक में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम सं.	मद	चेक फिटमेंट	मूल उपकरण की सिफारिशों के अनुरूप चेक मेक/टाइप/रेटिंग आदि	जांच दशाएं	चेक दशाएं	परीक्षण I	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(1)	स्पार्क प्लग/ सप्रेसर कैप/हाई टेंशन केबल	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	-

(2)	हैड लैंप बीम्स	हां	नहीं	हां	हां	जांच	(क) संलग्नक VII के अनुसार बीम फोकस; (ख) हेडलाईट परीक्षण में उपयोग आने वाले प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन के मामले में, परीक्षण प्रक्रिया और अपेक्षा एआईएस-128 : 2014 के अनुसार होगी ।
(3)	अन्य प्रकाश	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	यह भी सुनिश्चित करें कि अप्राधिकृत प्रकाश फिट नहीं है ।
(4)	परावर्तक	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	सुनिश्चित करें कि परावर्तकों के रंग और परावर्ती टेप, नियम 104 के अनुसार हैं ।
(5)	बल्ब	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	सुनिश्चित करें कि हेडलाइट बल्ब का वॉट, विशेषकर हैलोजिन IS 1606-1993 में जो उपदर्शित है उससे अधिक न हो और यह भी सुनिश्चित करें कि P45t कैप्स के साथ हैलोजिन बल्ब वह सभी यानों में प्रयोग नहीं किया जाए ।
(6)	पिछले दृश्य का शीशा	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	-
(7)	सुरक्षा शीशा	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	अप्रैल, 1996 से और उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए लेमिनेटड वाइड स्क्रीन ग्लास का उपयोग किया जाता है ।
(8)	हार्न	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	-
(9)	साइलेंसर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	सुनिश्चित कीजिए कि कोई रिसाव नहीं है
(10)	डैश बोर्ड उपकरण	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	-
(11)	विंडशील्ड वाइपर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	-
(12)	एक्झास्ट एमीशन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नियंत्रण प्रमाणपत्र के अंतर्गत प्रदूषण
(13)	ब्रेकिंग पद्धति	हां	नहीं	हां	हां	हां	(क) नियम 96(8) के अनुसार (ख) रोलर ब्रेक टेस्टर के उपयोग में प्राधिकृत परीक्षण की दशा मे, परीक्षण प्रक्रिया और अपेक्षाएं AIS-128:2014 के अनुसार होगी ।
(14)	स्पीडोमीटर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नियम 117 के अनुसार
(15)	स्टीयरिंग गीयर	हां	नहीं	हां	हां	फ्री प्ले की जांच	स्टीयरिंग व्हील के साथ वाहनों के लिए नियम 98 के अनुसार फ्री प्ले की जांच ।" ।

[फा. सं. आरटी-11036/96/2013-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 324(अ), तारीख 7 मई, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2014

G.S.R. 345(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 188(E), dated the 14th March, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby; dated 14th March, 2014.

And whereas, copies of the in which the said notification were made available to the public on 14th March, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 56, 64, sub-section (14) of section 88 and section 110 of the said Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (7th Amendment) Rules, 2014.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 62, in sub-rule (1), in the proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Sl. No.	Item	Check Fitment	Check make/ type/rating etc. as per original equipment recommendations	Check conditions	Check Functioning	Test	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(1)	Spark Plug/ Suppressor cap/ High Tension cable	Yes	Yes	Yes	No	No	-
(2)	Head Lamp Beams	Yes	No	Yes	Yes	Check	(a) Beam focus as per Annexure VII; (b) in case of authorised testing station using headlight tester, testing procedure and requirement shall be as per AIS-128:2014.
(3)	Other Lights	Yes	No	Yes	Yes	No	Also ensure that unauthorised lights are not fitted.
(4)	Reflectors	Yes	No	Yes	No	No	Ensure colour of reflectors and reflective tapes are as per rule 104
(5)	Bulbs	Yes	Yes	Yes	No	No	Ensure that head light bulbs wattage, especially halogen, is not higher than those indicated in IS 1606-1993 and also ensure that halogen bulbs with P45t caps are not used in all vehicles

(6)	Rear View Mirror	Yes	No	Yes	No	No	-
(7)	Safety Glass	Yes	Yes	Yes	No	No	Laminated windscreen glass is used for vehicles manufactured from April, 1996 onwards
(8)	Horn	Yes	No	Yes	Yes	No	-
(9)	Silencer	Yes	No	Yes	Yes	No	Ensure no leakage
(10)	Dash Board equipment	Yes	No	Yes	Yes	No	-
(11)	Wind shield wiper	Yes	No	Yes	Yes	No	-
(12)	Exhaust emission	No	No	No	No	Yes	Pollution Under Control Certificate .
(13)	Braking System	Yes	No	Yes	Yes	Yes	(a) As per rule 96 (8); (b) in case of authorised testing station using roller brake tester, testing procedure, and requirements shall be as per AIS-128:2014.
(14)	Speedometer	Yes	No	Yes	Yes	No	As per rule 117.
(15)	Steering gear	Yes	No	Yes	Yes	Check free play	Check freeplay as per rule 98 for vehicles with steering wheel."

[F. No. RT-11036/96/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* Notification number G.S.R. 324 (E), dated 7th May, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.